

प्रारूप—५

परियोजना का नाम :—

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली— घुत्तू मोटर मार्ग के कि०मी०—२ (०—२) व घनसाली—कोटी— अखोड़ी मोटर मार्ग के कि०मी०—३ (६—८) को जोड़ने हेतु अद्वगी में भिलंगना नदी पर स्टील गर्डर मोटर सेतु का निर्माण एवं मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई— 3.00 कि०मी० + 76.00 मी० स्पान सेतु)

परियोजना की वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण—पत्र

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर संलग्न की जानी है। यदि कतिपय परियोजनाओं की एकमुश्त स्वीकृति प्राप्त हो तो प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति को हाई लाईट किया जाय।

hai
ह०/
प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिकारी अभियन्ता
अस्थाई खैड़ ला० नि० विभाष
घनसाली (टिंग०)

संख्या:- 6667 / 111(2) / 13-32(प्रांती) / 2013

अमित सिंह नेगी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांक: ३ नवम्बर, 2013

विषयः— वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत गिभिन्न 16 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0 / कु0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी / अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रश्नम् चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 16 कार्यों के पारम्परिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 61.45 किमी0 + 10 सेतु तथा लागत ₹ 738.99 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 634.22 लाख (₹ छ: करोड़ चौंतीस लाख बाईस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में संलग्नक के कॉलन सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 16 कार्य हेतु ₹ 1.60 लाख (₹ एक लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निर्वतन में स्थेजाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नाकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उच्चत स्वीकृति के आधार पर विभाग हासा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों का समर्थवद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0-1764 / 11(2) / 10-17(सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii) - आगरन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदाचित् किना जाता। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही अनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv) कार्य करने से पूर्व समर्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नज़र रखते हुए एवं तोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदत्त दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को स्पष्टित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(V) — आगरन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरे मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi) — रखीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रीवेट इमेन्ट रूल्स—2008 एवं उक्त के विषय में समय—समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनेजर के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii) - मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश नं०- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगामन गठित करते समय कडाई से अनुपालन सनिश्चित किया जायेगा।

(iii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में रन०पी०वी०, भर्मि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिपिटग आदि मर्दों के सम्बन्ध में पथावरयक व्यय अनुदान त०-२२-लेखार्थीशक-५०५४ सङ्केत तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यव-०४ जिला तथा अन्य सुखक- ३शयोजनागत-८००-अन्य व्यय-०५-नडुक / समन् / रेतु आदि हतु भर्मि अधिग्रहण -००-२४ वृहत निर्माण कार्य एवं विपानीय आय-व्ययक में प्राविधिकानित घिरवत्तन पर स्थानीय धनरक्षण लित छियीला सेवा Attested

छाया प्रति छायापित
सहायद
लो.नि.दि

रामायण अधिकरण
त्रिलोक सिन्हासन
संधारयकला काव्यादेश
ज्ञानदर्श रामायण लोक लिपिपात्र विभाग
मनसाली, दिल्ली

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संग्रह में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सङ्काय योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सङ्काय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निररत समझी जाएगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक/पर्जे रूप से अथवा आशिक रूप से विवरणित कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं-22-तेखाषीर्षक-5054 सङ्कायों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सङ्कायों-आयोजनागत-300-भूर्ज व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 558 / XXVII(2)/2013 दिन: 21 नवम्बर, 2013 में प्राप्त सन्दर्भ सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

सलर्नकः— यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेही)
प्रभारी सचिव

संख्या— (1) / 11 (2) / 13-32(प्रज्ञान) / 2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल / कुमार्यू मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल / कुमार्यू क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी / अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2 / वित्त नियोजन प्रकोष्ठ / राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री कार्यालय घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सांविधित अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
10. गाई बुक।

Photo Copy Attested

आज्ञा से

(महिमा)
अनु सचिव

सहायक अभियन्ता
राई रुद्र, लोक निर्माण विभाग

अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग
वाराणसी, दिन २०

छाया प्रति स्वापित

सहायक
लो.नि.वि.

ना
ली

प्रत्यापदेश संख्या - 667 / 11(2) / 13-32(प्राप्ति) / 2013 दिनांक 22 नवम्बर, 2013 का अलगाव

(अनुसारी लाख रु में)

क्रमांक संख्या	कार्य का नाम	लम्बाई किमीो में	टीएट्रली द्वारा अनुमोदित लागत	चालू किसीय बर्बादी में द्वारा हेतु अवधारणा विनाशकी
1	2	3	4	5
1.	मा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-234 / 2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधाय शामा क्षेत्र राष्ट्रपुर के अन्तर्गत याम पंचायत द्वारा के राजकीय उच्चान्तर माध्यमिक विद्यालय से कृष्ण घरुट तक मार्ग का निर्माण कार्य।	5.50	63.75 [₹ 32.07 + ₹ 31.56 उत्तराखण्ड अधिकारी विभागीय से कराये जाने वाले लागत]	0.10
2.	मा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-233 / 2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधाय शामा क्षेत्र राष्ट्रपुर के अन्तर्गत सोडा द्वारा से चमोली चौक तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	6.00	69.54 [₹ 34.98 + ₹ 34.56 उत्तराखण्ड अधिकारी विभागीय से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
3.	मा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 396 / 2013 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड विलंगन में बाल गोमा नदी एवं भिलंगना नदी के सम्म पर बाल गोमा महाविद्यालय को जोड़ने हेतु रसील मर्डर से तु एवं गुग्गोद मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5.00 + 100mt	39.25	0.10
4.	मा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 397 / 2013 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड विलंगन में धनताली-घुलू भोटर मार्ग के किमीो-2 (0-2) व धनताली-कोटी-कोटी भोटर मार्ग के किमीो-3 (0-3) को जोड़ने हेतु अदीरी वे विलंगना नदी पर स्थील बर्डर गोटर से तु का निर्माण एवं भोटर मार्ग का नव निर्माण।	3.00 + 76.00 mt	44.59 [₹ 25.15 + ₹ 19.44 उत्तराखण्ड अधिकारी विभागीय से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
5.	मा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 398 / 2013 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड विलंगन में लच्चागाँव-कोटालगाँव-कुमियाला मोटर मार्ग के किमीो-3(0-2) यह नाम तोक से सुनारगाँव-भयोट-राजगाँव नो. 2 मार्ग का जोड़ सहित नव निर्माण।	5.03 + 24mt	51.63 [₹ 30.53 + ₹ 20.70 उत्तराखण्ड अधिकारी विभागीय से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
6.	मा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 400 / 2013 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड विलंगन में तुक्कोपार-तोलो मोटर मार्ग का निर्माण तक रेखा शेह का निर्माण।	2.00	49.95 [₹ 25.00 + ₹ 24.95 उत्तराखण्ड अधिकारी विभागीय से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
7.	मा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 403 / 2013 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड विलंगन में तुक्कोपार-तोलो मोटर मार्ग का नव निर्माण तक रेखा शेह का निर्माण।	2.00	22.79 [₹ 11.70 + ₹ 11.09 उत्तराखण्ड अधिकारी विभागीय से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
8.	मा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 404 / 2013 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड विलंगन में चर्दीशिला (हिन्दूदार) भोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	4.00	43.3 [₹ 23.40 + ₹ 19.90 उत्तराखण्ड अधिकारी विभागीय से कराये जाने वाले कार्य]	0.10

छाया प्रति आव्याप्ति

hit

सहाय
लो.नि.

जी
ली

सहाय
लो.नि.
राजीव गोपनी विभागीय
निपटानी विभागीय